CHAPTER - XVIII

DEMANDS AND RECOVERY

[1][Rule 142 : Notice and order for demand of amounts payable under the Act

---

1 Rule 142 substituted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**Rule 142 : Notice and order for demand of amounts payable under the Act**

(1) The proper officer shall serve, along with the
- (a) notice under sub-section (1) of section 73 or sub-section (1) of section 74 or sub-section (2) of section 76, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,
- (b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**,

specifying therein the details of the amount payable.

(2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC–04**.

(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under sub-section (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.

(4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be in **FORM GST DRC-06**.

(5) A summary of the order issued under sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 [A][or sub-section (12) of section 75] or sub-section (3) of section 76 [B][or section 125] [C][or section 129 or section 130] shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.

(7) Any rectification of the order, in accordance with the provisions of section 161, shall be made by the proper officer in **FORM GST DRC-08**."

A Earlier inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f 31-12-2018.

B Earlier inserted by Noti. No. 48/2018–Central Tax, dt. 10-09-2018 w.e.f. 10-09-2018.

C Earlier inserted by Noti. No. 28/2018–Central Tax, dt. 19-06-2018 w.e.f. 19-06-2018.

(1) The proper officer shall serve, along with the,-

(a) notice issued under section 52 or section 73 or section 74 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,

(b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**, specifying therein the details of the amount payable.

[2]**[(1A)** The [3]**[**proper officer may**]**, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the case may be, [4]**[**communicate**]** the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in Part A of **FORM GST DRC-01A**.**]**

(2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, or where any person makes payment of tax, interest, penalty or any other amount due in accordance with the provisions of the Act [5]**[**, whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A),**]** he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.

[6]**[(2A)** Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in **Part B** of **FORM GST DRC-01A.]**

(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under sub-section (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), or where the person concerned makes payment of the amount referred to in sub-section (1) of section 129

---

2 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 09-10-2019.

3 Substituted for "proper officer shall" by Noti. No. 79/2020–Central Tax, dt. 15-10-2020 w.e.f. 15-10-2020.

4 Substituted for "shall communicate" by Noti. No. 79/2020–Central Tax, dt. 15-10-2020 w.e.f. 15-10-2020.

5 Inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 09-10-2019.

6 Sub-rule (2A) inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 09-10-2019.

within [7]**[**seven days of the notice issued under sub-section (3) of Section 129 but before the issuance of order under the said sub-section (3)**]**, he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.

(4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 or the reply to any notice issued under any section whose summary has been uploaded electronically in **FORM GST DRC-01** under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM GST DRC-06**.

(5) A summary of the order issued under section 52 or section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 75 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of [8]**[**tax, interest and penalty, as the case may be, payable by the person concerned**]**.

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.

(7) Where a rectification of the order has been passed in accordance with the provisions of section 161 or where an order uploaded on the system has been withdrawn, a summary of the rectification order or of the withdrawal order shall be uploaded electronically by the proper officer in **FORM GST DRC-08**.**]**

---

7 Substituted for "fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

8 Substituted for "tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

अध्याय 18
मांग और वसूली
[1][नियम 142 : अधिनियम के अधीन रकमों की मांग के लिए सूचना और आदेश

---

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा नियम 142 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**नियम 142 : अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश**

(1) उचित अधिकारी,–

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रुप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–02** में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा।

(2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहाँ वह उचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–04** में उक्त व्यक्ति द्वारा किये गये संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्विकृति जारी करेगा।

(3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, कर, ब्याज और शास्ति का नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन संदाय करता है या संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम का माल और प्रवहन को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिन के भीतर संदाय करता है तो वह ऐसे संदाय की समुचित व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करने का **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05** में आदेश जारी करेगा।

(4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–06** में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 [A][या धारा 75 की उपधारा (12)] या धारा 75 या धारा 76 [B][या धारा 125] [C][या धारा 129 या धारा 130] के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें कर के प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा।

(7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–08** में अपलोड किया जाएगा।"

A अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

B अधिसूचना क्रमांक 48/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.09.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.09.2018)।

C अधिसूचना क्रमांक 28/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 19.09.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 19.9.2018)।

(1) समुचित अधिकारी निम्नलिखित के साथ,–

(क) धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में तामील करते हुए,

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन विवरण, इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–02** में तामील करते हुए,

उनमें संदेय रकम के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करेगा।

[2]**[(1क)** [3]**[**उचित अधिकारी कर सकेगा**]** कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क** के **भाग क** में [4]**[**संसूचित**]**।

(2) जहां सूचना या विवरण की तामील से पूर्व कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, कर, ब्याज और धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार शास्ति का संदाय कर देता है या कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम, [5]**[**चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चित पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित,**]** का संदाय से सूचित करेगा और समुचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में ऐसे संदाय से सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय की अभिस्वीकृति, स्वीकृति **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–04** में जारी करेगा।

[6]**[(2क)** जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरूद्ध कोई निवेदन फाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क** के **भाग ख** में कर सकेगा।

(3) जहां कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, कर, ब्याज और शास्ति का नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन संदाय करता है या संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम का [7]**[**धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिनों

---

2 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा ''उचित अधिकारी करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)।

4 अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा ''संसूचित करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)।

5 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

6 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (2क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

7 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा ''माल और प्रवहन को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिनों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

के भीतर लेकिन उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश जारी करने से पहले**]** के भीतर संदाय करता है तो वह ऐसे संदाय की समुचित व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करने का **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05** में आदेश जारी करेगा।

(4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–06** में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 75 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें [8]**[**संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति, जैसी भी स्थिति हो**]**, की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा।

(7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–08** में अपलोड किया जाएगा।**]**

---

8 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा ''कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।